तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 16/23 अनीता व.अ. बनाम राज. सरकार
01/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/01/25 को पेश हो। CA
29/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 19/02/25 को पेश हो। CA
19/02/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपरान्त अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/3/25 को पेश हो। Shanti
11/03/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 9/4/25 को पेश हो। CA
9/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपरान्त अधि० प्रार्थी की पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/4/25 को पेश हो। Shanti
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपरान्त प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता(आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 16 / 2023

1. उर्मिला पत्नि स्व. यादराम
2. निशा
3. रजनी
4. सौनिया पुत्रियान स्व. यादराम
5. केशव पुत्र स्व. यादराम
6. रामबाबू पुत्र चन्दन समस्त जातियान जाट निवासी नगला तेरहिया माफी तह0 उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये

1. जिला कलक्टर महोदय जिला भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—15.04.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 285 रकवा 0.17 हैक्टेयर बाके ग्राम नगला तेरहियां खालसा तहसील उच्चैन प्रार्थीया सं. 1 उर्मिला के पति यादराम व प्रार्थी सं. 6 रामबाबू पुत्र चन्दन की बहिस्सा बराबर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है प्रार्थीया सं. 1 उर्मिला के पति यादराम का दिनांक 17.09.2018 को स्वर्गवास हो गया है जिसकी 1/2 हिस्सा आराजी पर उसके जायज वारिसान हम प्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 5 प्रार्थी रामबाबू सं. 6 के साथ बखूबी काबिजान आराजी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 285 रकवा 0.17 हैक्टे0 का सैटिलमैन्ट 2005 से पूर्व का साविक ख.नं. 207 रकवा 01 बीघा 01 विस्वा था जिसको प्रार्थीया सं0 1 उर्मिला के पति यादराम व प्रार्थी सं0 6 रामबाबू पुत्र चन्दन ने अतरी से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया था और इस वयनामा के आधार पर दिनांक 23.08.2009 को स्वीकृत हुए नामान्तरकरण सं0 253 के जरिये उक्त दोनों केतागण यादराम व रामबावू पिस. चन्दन कौम जाट निवासी नगला तेरहियां माफी के नाम जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

सम्वत् 2065–2068 के खाना नम्बर 11 में वहिस्सा बराबर की खातेदारी का इन्द्राज हो गया। यह कि दिनांक 10.11.2021 को जब प्रार्थीगण ने मृतक यादराम की विरासत का दाखिल खारिज हम प्रार्थीगण सं. 1लगा0 5 के नाम दर्ज करने बावत् पटवारी हल्का से कहा तो उसने बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 285 की खातेदारी मृतक यादराम व प्रार्थी सं0 6 रामबाबू के नाम ही दर्ज नहीं है, बल्कि इसकी खातेदारी तो अतरी वेवा रामखिलाडी जाति जाट निवासी नगला तेरहियां माफी के नाम दर्ज हो रही है यह मालुम होने पर प्रार्थीगण ने रिकार्ड की इस अशुद्धि की उसी दिन तहसील उच्चैन में जांच कराई और जमावंदी सम्वत् 2065–68 की नकल प्राप्त करने पर मालुम हुआ कि इस जमाबंदी के खाना संख्या 11 में क्रेतागण यादराम व रामबाबू पिस. चन्दन के नाम दर्ज किये गये खातेदारी इन्द्राज को अप्रार्थीगण के राजस्व कर्मचारियों ने सहवन भूल अथवा लापरवाही से न तो आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में दर्ज किया है और न अब तक बनने वाली किसी जमावन्दी में ही दर्ज किया है और सम्बत् 2065–68 के बाद अब तक की सारी जमावन्दीयों में विक्रेती अतरी वेवा रामखिलाडी के ही नाम विवादित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज खिलाफ मौका और खिलाफ रिकार्ड अशुद्ध दर्ज होता चला आ रहा है। रिकार्ड की उक्त अशुद्धि के कायम रहने से प्राथीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। उक्त अशुद्धि को शुद्ध कराने हेतु तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो उन्होंने इस रिकार्ड की अशुद्धि को शुद्ध करने बाबत् न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत् कहा इसलिये रिकार्ड के उक्त अशुद्ध खातेदारी इन्द्राज को शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का से जांच कराई गई मुताबिक जांच बाद के सन्दर्भ में नामान्तरकरण संख्या 253 वाके ग्राम नगला तेरहिया खलसा ख.नं. 207 मिन रकवा 1–01 बीघा नाया ख.नं. 285 रकवा 0.17 का जमाबन्दी सम्बत् 2065–68 में खाता सं. पर यादराम रामबाबू पिस. चन्दन व.हि.व. कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है। जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में खाता सं. 95 ख.नं. 504/207 रकवा 1–01 बीघा यादराम रामबाबू पि. चन्दन व.हि.व. कौम जाट सा. न.तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी आधार वर्ष 2074 में खाता सं. 4 पर पुराना ख.नं. 207 रकवा 1–01 बीघा नया ख.नं. 285 रकवा 0.17 हैक्टे. अतरी वेबा रामखिलाडी कौम जाट सा. न.तेरहियामाफी खातेदार दर्ज है इसके पश्चात् जमाबन्दी सं. 2075–78 में भी उक्त खसरा नम्बर अतरी पत्नी रामखिलाडी हि. पूर्ण कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत् 2069–72 में खाता सं. 95 पर ख.नं. 504/207 रकवा 1–01 बीघा में यादराम रामबाबू पिस. चन्दन कौम जाट सा. नगलातेरहियामाफी का इन्द्राज है जो नये मिसल बन्दोबस्ती रिकार्ड एवं जमाबन्दी आधार वर्ष सं. 2074 में खाता 4 पर एवं जमाबंदी सं. 2075–78 में खाता सं. 3 पर नया ख.नं. 285 रकवा 0.17 बाके ग्राम नगला तेरहियाखालसा में अतरी पत्नी रामखिलाडी हि. पूर्ण कौम जाट सा. नगला तेरहियामाफी खातेदार के नाम दर्ज है। यादराम पुत्र चन्दन कौम जाट नि. नगला

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

रहियामाफी की मृत्यू हो चुकी है जिसके वारिसान उर्मिला पत्नी यादराम निशा रजनी सौनिया पुत्रियान यादराम केशव पुत्र यादराम है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त आराजी को यादराम एवं प्रार्थी सं. 6 के द्वारा अतरी बेवा रामखिलाडी से खरीद किया था। जिनका म्यूटेशन दर्ज कर जमाबंदी सम्वत् 2065–68 में यादराम रामबाबू पिस. चन्दन का नाम दर्ज किया गया था। सहवन ने आगे की जमाबंदीयों में इनका नाम नहीं आया। हाल जमाबंदी में मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2065–68 के आधार पर अतरी वेबा रामखिलाडी का नाम कलमजन कर यादराम रामबाबू पिस. चन्दन शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अतरी पत्नि रामखिलाडी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जोकि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। मेरे विन्रम मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। परन्तु प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार बनाकर नए सिरे से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)